

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24 /

दिनांक

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान जयपुर।

विषय:- Diversion of Forest land for the development of Shahpur (1800MW) Pumped Storage Project by M/S Greenko Energies Private Limited in Baran Territorial Forest Division. - Submission of Wildlife Conservation Plan -reg.

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 2935 दिनांक 23.11.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36बी के प्रावधान की अनुपालना में संरक्षण आरक्षित के संरक्षण प्रबन्धन और रखरखाव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को सलाह देने के लिये गठित किया हुआ है।

उक्त प्रस्ताव वन भूमि शाहबाद कन्जर्वेन रिजर्व का हिस्सा है जिसके लिये संरक्षण आरक्षित प्रबंधक समिती की अभिशंषा/ टिप्पणी चाही गई है। इस संबंध में दिनांक 19.12.2023 को मिटींग आहूत की गई थी जिसकी रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न-पत्र

59
(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/ 11743-45-

दिनांक 20/12/23

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक,प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
- 2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
- 3.Greenko Energies Private Limited .

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

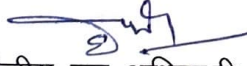
शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व दिनांक 19.12.2023 बैठक कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है।

आज दिनांक 19.12.2023 को शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत आने वाली शाहपुर पम्प भंडारण परियोजना (1800 मेगावाट) हेतु, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 (B) की अनुपालना में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को सलाह देने हेतु संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान मेसर्स ग्रीनको एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा शाहपुर पम्पड भंडारण परियोजना (1800 मेगावाट) के निर्माण के लिए आवश्यक "परियोजना" से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।

विस्तृत चर्चा के बाद संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:-

1. बैठक के उद्देश्य और प्रक्रियाओं को स्थानीय भाषा में समझाया गया।
2. प्रस्तावित परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता (18000 मेगावट) है। जिसको मेसर्स ग्रीनको एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है।
3. परियोजना के निर्माण के लिए कुल 407.8227 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिससे क्षेत्र में वन्य सम्पदा एवं वन्य जीव प्रभावित होंगे। प्रभावों को कम करने हेतु वन्य जीवन प्रबंधन योजना बनाई गयी है।
4. परियोजना के निर्माण में जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि (407.8227 हेक्टेयर) के बदले में शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत आने वाली आरक्षित समतुल्य वन भूमि पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव किया गया है जो उचित है।
5. शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत आने वाली आरक्षित वन भूमि 407.8227 हेक्टेयर जो मेसर्स ग्रीनको एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही शाहपुर पम्पड भंडारण परियोजना (1800 मेगावाट) के निर्माण के लिए आवश्यक है।
6. शाहबाद संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति 407.8227 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव से सहमत है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सदस्य सचिव शाहबाद।


(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

आज दिनांक 19.12.2023 को शाहाबाद कंजवेशन रिजर्व के अन्तर्गत आने वाली शाहपुर पम्पड भंडारण परियोजना (1800 मेगावाट) हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 (B) की अनुपालना में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को सलाह देने हेतु संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान मेसर्स ग्रीनको एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा शाहपुर पम्पड भंडारण परियोजना (1800 मेगावाट) के निर्माण के लिए आवश्यक "परियोजना" से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।

विस्तृत चर्चा के बाद संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:-
① बैठक के उद्देश्य और प्रक्रियाओं को स्थानीय भाषा में समझाया गया।

② प्रस्तावित परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता (18000 मेगावाट) है। जिसके मेसर्स ग्रीनको एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है।

③ परियोजना के निर्माण के लिए कुल 407.8287 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता होगी। जिससे क्षेत्र में वन्य सम्पदा एवं वन्य जीव प्रभावित होंगे। प्रभावों को कम करने हेतु वन्य जीवन प्रबंधन योजना बनाई गयी है।

④ परियोजना के निर्माण में आने वाली प्रस्तावित वनभूमि (407.82 हेक्टेयर) के बदले में शाहाबाद कंजवेशन रिजर्व के अन्तर्गत आने वाली आरक्षित समतुल्य वनभूमि पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव किया गया है जो उचित है।

⑤ शाहाबाद कंजवेशन रिजर्व के अन्तर्गत आने वाली आरक्षित वनभूमि 407.8287 हेक्टेयर जो मेसर्स ग्रीनको एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही शाहपुर पम्पड भंडारण परियोजना (1800 मेगावाट) के निर्माण के लिए आवश्यक है।

⑥ शाहाबाद संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति 407.8287 हेक्टेयर भूमि के डायवर्सन के प्रस्ताव से सहमत है।

क्र. सं.	नाम	पद	विभाग/पंचायत	हस्ताक्षर
1.	श्री मोहम्मद हफीज सदस्य सचिव	क्षे. व. अ. I	वन विभाग रेंज शाहाबाद	गुप्ता
2.	" तरुण रावत	क्षे. व. अ. II	वन विभाग रेंज मेरवाडा	
3.	" राजीव नयन		GEPL	
4.	डा. सुभाष काजिरी	Sr. Manager S.V.O	पशुपालन विभाग	
5.	कृष्णकांत मेहता	L.S.A	पशुपालन विभाग	
6.	चमराज मेहता	सरपंच	ग्राम प. शाहाबाद	चमराज मेहता
7.	मीना मेहता	सरपंच	ग्राम प. मेहता	मीना
8.	मोला राम यादव	सरपंच	ग्राम प. मुंडियर	मोला राम
	रामदास	ग्राम पंच	ग्राम प. मुंडियर	रामदास
9.	पुनम राव	ज. प. च	ग्राम प. मेरवाडा	
10.	राजेन्द्र कौशिक	अध्यक्ष	ई. डी. सी. शाहाबाद	(हस्ताक्षर)
11.	गंगा राम	अध्यक्ष	VFPMC मुशालपुरा	गंगा राम
12.	जगदीश	अध्यक्ष	मुंडियर VFPMC	जगदीश
13.	हरलाल	अध्यक्ष	शाहपुर VFPMC	हरलाल
14.	काशी लाल	अध्यक्ष	राजपुर VFPMC	काशी लाल
15.	लेखिका	संरक्षक	ग्राम प. शाहाबाद	लेखिका
16.	पर्वत सिंह	मध्यक्ष	V.F.P.M.C. सरोडा	पर्वत सिंह
17.	प्रताप पाण्डे	साधक	स. व. शाहाबाद	प्रताप पाण्डे
20.	सुरेश मेहता	Manager	GEPL	
21.	Upender Singh Tomar	Asst. Manager	GEPL वन विभाग	U. Singh
22.	सिमाराम	वनरक्षक		(हस्ताक्षर)
23.	लेखिका	—	—	लेखिका
24.	विनीत	—	—	विनीत
25.	विन्डु कुमार	सह. वनपाल	—	विन्डु कुमार
26.	विजय कुमार	वनरक्षक	—	विजय कुमार
27.	नारायण काका	—	—	नारायण काका
28.	मुकेश कुमार	—	—	मुकेश कुमार
29.	रामभरोषी	सह. वनपाल	—	रामभरोषी
30.	उमा कुमारी	वनरक्षक	—	उमा
31.	सम मिथुन कुमार	वनरक्षक	—	सम मिथुन कुमार

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहाबाद जिला बारी (राज.)

